फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)
वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय 17-किराया उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1000.00	14.00	14.00	14.00	986.00
योग-	**1000.00**	**14.00**	**14.00**	**14.00**	**986.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा
(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 07 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 42-अन्य व्यय	1.00	15.00	14.00	14.00	15.00
योग -	**1.00**	**15.00**	**14.00**	**14.00**	**15.00**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु इस मद में मुख्यतः जनपद गौतमबुद्धनगर में किराये के भवन में संचालित परिवहन कार्यालय की मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा द्वारा तत्समय सूचित की गयी लम्बित देयता की धनराशि रू 12,45,40,055/- अर्थात रू 1245.41 लाख तथा 24 निजी भवनों में किराये पर संचालित कार्यालयों के नियमित किराये/पुनरीक्षित किराये के एरियर व शासकीय भवनों में स्थापित कार्यालयों के गृहकर भुगतान हेतु रू 200.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू 1445.41 लाख की अनुमानित आवश्यकता के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू 1000.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। प्रश्नगत गौतमबुद्धनगर का लम्बित भवन किराया वर्तमान में स्वीकृत सम्बन्धी अन्य कार्यवाही (किराया माफी/ब्याज माफी/एकमुश्त समाधान योजना) में प्रक्रियाधीन होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

मा0 मंत्रि-परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 का विधान मण्डल में पारण किया गया, जिसके क्रम में इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष हेतु रू 1.00 लाख एवं पूंजीगत पक्ष हेतु रू 1.00 लाख का टोकन बजट प्राविधान अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। इस योजना में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी-2022 के अन्तर्गत पोर्टल विकसित किये जाने हेतु यू0पी0 डेस्को के पत्र दिनांक 13.12.2023 द्वारा सर्वर क्रय किये जाने हेतु रू 14,99,190/- का व्यय भार आगणित कर सूचित किया गया है, जबकि इस योजना के राजस्व पक्ष की मद संख्या 42-अन्य व्यय में मात्र रू 1,00,000/- का बजट प्राविधान स्वीकृत है। अतिरिक्त धनराशि रू 13,99,191/- अर्थात रू 14.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियेाग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आर.ई. संख्या-बजट-1-281, दिनांक 02.01.2024

	सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
ह0/- (सिद्धार्थ श्रीवास्तव) अपर निदेशक, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन।	ह0/- (के0पी0 सिंह) विशेष सचिव, परिवहन विभाग।

संख्या-04/2024/43 /तीस-3-2024 दिनॉक 04 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।